...लय उपखण्ड अधिकारी दीगोद बइजलास

शत्रुध्न सिह गुर्जर आर.ए.एस

...मसल न0	दायरा तिथि	निर्णय दिनाक
...37/2023	10/07/2023	13/07/2024

गिरिजाशंकर पुत्र रामकरण जाति माली निवासी अमरपुरा तह0 दीगोद,जिला कोटा

— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद,जिला कोटा।

— प्रतिवादी

वाद अ0धा0 88,89, आरटीएक्ट

वकील वादी — श्री के0के वैष्णव

आदेश

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अमरपुरा तह0 दीगोद में वादी के शामलाती खाते मे खाता संख्या 188 नया 183 पुराना की ख.न. 206 रकबा 0.06 है0 ख.न. 207 रकबा 0.06 है0 ख.न. 208 रकबा 0.07 है0, ख.न. 209 रकबा 0.05 है0, ख.न. 491 रकबा 0.50 है0, ख.न. 492 रकबा 0.38 है0, ख.न. 493 रकबा 0.40 है0, ख.न. 495 रकबा 0.43 है0, ख.न. 70 रकबा 0.40 है0 कुल किता 9 की 2.35 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम गजेन्द्र दर्ज है। जमाबंदी संवत 2075—2078 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त आराजी में वादी का नाम गजेन्द्र दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का समस्त दस्तावेजो मे वादी काा नाम गिरिजाशंकर है। जिससे वादी

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

योजनाओ मे किसान केडिट कार्ड आद्वि लेने मे परेशानी आ रही है किया जाना आवश्यक् है।

कि उक्त वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र,राशनकार्ड,पेनकार्ड, बैक आदि में वादी का नाम गिरिजाशंकर है। सरकारी योजनाओ मे किसान केडिट आद्वि लेने मे परेशानी आ रही है वादी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे लिखवाने का कानूनन अधिकार है ।

प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा वादी का नाम ग्राम अमरपुरा की भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गिरिजाशंकर के स्थान पर गजेन्द्र दर्ज कर दिया है जबकि वादी की आराजी ग्राम सुल्तानपुर के खाता सं. 495 की आराजी में वादी का नाम गिरिजाशंकर दर्ज है। इस संबध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 12.01.2023 को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा नाम दुरस्त करने से मना करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम अमरपुरा तह0 दीगोद में वादी के शामलाती खाते मे खाता संख्या 188 नया 183 पुराना की ख.न. 206 रकबा 0.06 है0 ख.न. 207 रकबा 0.06 है0 ख.न. 208 रकबा 0.07 है0, ख.न. 209 रकबा 0.05 है0, ख.न. 491 रकबा 0.50 है0, ख.न. 492 रकबा 0.38 है0, ख.न. 493 रकबा 0.40 है0, ख.न. 495 रकबा 0.43 है0, ख.न. 70 रकबा 0.40 है0 कुल किता 9 की 2.35 है0 मे वादी का नाम गजेन्द्र के स्थान पर गिरिजाशंकर दर्ज किये जाने व राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्ती कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित फरमावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का नाम गजेन्द्र जर्ये विरासत नामान्तकरण न. 134 दिनांक 5.06.2002 से दर्ज हुआ है। नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है। शेष सिद्व करने का भार वादी पर है। जवाब प्रतिवादी के साथ पटवारी हल्का द्वारा मजमेआम में तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मजमेआम में तैयार की गई रिपोर्ट में

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

गजेन्द्र के साथ साथ गिरिजाशंकर के नाम से जाना जाता है। अतः आराजी मे वादी का नाम दुरस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त होने पर वाद की सुनवाई दिनांक 13.07. को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो,वादपत्र,जवाब सरकार,पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद में अंकित दस्तावेज में आधार कार्ड, पहचान पत्र,पेनकार्ड,मे वादी का नाम गिरिजाशंकर है। इसी प्रकार वादी द्वारा वाद मे अंकित किया है कि वादी की आराजी ग्राम सुल्तानपुर के खाता सं. 495 की आराजी में वादी का नाम गिरिजाशंकर दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मजमेआम में तैयार की गई रिपोर्ट में भी वादी को गजेन्द्र के साथ साथ गिरिजाशंकर के नाम से जानते हे यह अंकित किया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरपुरा तह0 दीगोद में वादी के शामलाती खाते मे खाता संख्या 188 नया 183 पुराना की ख.न. 206 रकबा 0.06 है0 ख.न. 207 रकबा 0.06 है0 ख.न. 208 रकबा 0.07 है0, ख.न. 209 रकबा 0.05 है0, ख.न. 491 रकबा 0.50 है0, ख.न. 492 रकबा 0.38 है0, ख.न. 493 रकबा 0.40 है0, ख.न. 495 रकबा 0.43 है0, ख.न. 70 रकबा 0.40 है0 कुल किता 9 की 2.35 है0 मे वादी का नाम गजेन्द्र के स्थान पर गिरिजाशंकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजी में यदि रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेंगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/7/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद